तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मोहनलाल बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार पीपाड़शहर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 221/2019**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.12.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मोहनलाल पुत्र भोमाराम पता मेघवाल बस्ती, मगरा पूंजला चार थम्बा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.10..2019 में उसके द्वारा (1) ग्राम रईनगर/बोयल तहसील क्षेत्र पीपाड़शहर के खसरा नम्बर 1060/15/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि गंगाराम द्वारा कृषि भूमि का अकृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवासीय के सपरिवर्तनल आदेश जरिये पत्र कमांक राजस्व/ग्रा क्षे सं.प./आवासीय/2012/79 दिनांक 31.12.12012 प्रकरण संख्या 2012 क्षेत्रफल 2225.77 वर्गमीटर कार्यालय तहसीलदार पीपाड़शहर जिला जोधपुर द्वारा जारी किया गया, से संबंधित पत्रावली की सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार पीपाड़शहर) से जरिये पत्रांक 597 दिनांक 05.12.19 सूचनार्थ पत्र प्राप्त हुआ जिससे स्पष्ट होता है कि चाही गई सूचना तहसील बिलाड़ा से संबंधित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) क़े तहत तहसीलदार बिलाड़ा को जरिये पत्रांक 512 दिनांक 23.10.19 के स्थानान्तरित किया गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) द्वारा विधिक प्रकिया के तहत प्रार्थना पत्र तहसीलदार बिलाड़ा को प्रेषित कर दिया गया था परन्तु तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा आदिनांक तक सूचना नहीं दी गई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Rajpurohit
Date: 2020.01.11 14:01:14 IST
Reason: SelfAttested